NewsBroadcastersAssociation

N B A

5 अक्टूबर 2012

सभी सदस्यों और एनबीए के संपादकों के लिए

विषय: बच्चों से सम्बन्धित रिर्पोटिंग के लिए मीडिया दिशा-निर्देश — न्यायालय के अपने खुद के प्रस्ताव पर अदालत बनाम भारत संघ एवं अन्य : दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित 2012 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 787

अधिवक्ता अनंत अस्थाना द्वारा दाखिल पत्र याचिका के आधार पर दिल्ली उच्च न्यायालय की ओर से यह रिट याचिका लाई गई थी। इस पत्र याचिका में अदालत का ध्यान फलक नाम की दो साल की बच्ची के संबंध में की गयी मीडिया रिपोर्टिंग की तरफ दिलाया गया था। उस बच्ची को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया था और उसे 15 साल की एक नाबालिग़ लड़की वहाँ लेकर आई थी।

अदालत ने 8 फरवरी, 2012 के अपने आदेश में यह कहा था कि इन बच्चों के नामों एवं पहचानों का खुलासा करके इन की निजता का हनन करने के कारण यह मामला किशोर न्याय (बच्चों की देख भाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के उल्लंघन से सम्बन्धित है। अदालत ने यह भी कहा कि वह ऐसी स्थितियों में मीडिया रिपोर्टिंग के लिए दिशा-निर्देश तैयार करेगी।

इसके बाद एनबीए ने इस मामले में एक हस्तक्षेप याचिका पेश की, जिसे अदालत ने अनुमति दे दी। अदालत ने यह कहते हुए कि इस मामले में फैसला लेने के लिए एनबीए के विचार महत्वपूर्ण हो सकते हैं, अदालत द्वारा गठित की जाने वाली समिति में एनबीए को अपना एक प्रतिनिधि नामजद करने की अनुमति दे दी जो बच्चों पर रिपोर्टिंग के संबंध में दिशा-निर्देश बनाने में मदद करेगी। एनबीए के महासचिव को समिति के लिए नामजद किया गया। अदालत ने निर्देश दिया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) इस समिति का संयोजक होगा।

अदालतने 08/08/2012 के अपने आदेश में निर्देश दिया है कि बच्चों पर मीडिया रिपोर्टिंग से संबंधित संलग्न दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो। बच्चों के बारे में मीडिया रिपोर्टिंग से संबंधित ये दिशा-निर्देश संलग्नकों के साथ यहां संलग्न हैं। अदालत के आदेश एवं संबंधित दस्तावेज एनसीपीसीआर की वेबसाइट http://www.ncpcr.gov.in/childparticipationtv.htm पर मौजूद हैं:

सदस्यों से अनुरोध है कि बच्चों के संबंध में रिपोर्टिंग के दौरान इन दिशा-निर्देशों का सावधानी से पालन करें।

सादर,

एनी जोसफ
महासचिव, एनबीए
सीसी: कानूनी प्रमुख, एनबीए

Correspondence Address: ME-5, Sah Vikas Apartments 68, Patparganj, Delhi – 110092
M: 9810025212 **Telefax:** 22231872 **Email:** nba@nbanewdelhi.com **Website:** www.nbanewdelhi.com
Registered Office: Juris House, Ground Floor, 22, Inder Enclave, Paschim Vihar, New Delhi – 110 087

2012 की रिट याचिका संख्या (सिविल) 787 पर बच्चों की रिपोर्टिंग के बारे में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित दिशा-निर्देश

बच्चों से संबंधित मामलों पर मीडिया कवरेज का बच्चों के समग्र विकास (शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, नैतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि), जीवन और आत्म सम्मान पर दीर्घ कालिक प्रभाव पड़ सकता है और इस संबंध में मीडिया द्वारा सावधानी नहीं बरते जाने से बच्चों को नुक़सान पहुँचने, बदनामी, निर्रहता(disqualification) और प्रतिफल भुगतने (retribution) के वास्तविक खतरे उत्पन्न हो सकते हैं । बच्चों की निजता, आत्मसम्मान (dignity) और उनका समुचित शारीरिक और भावनात्मक विकास अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और जिन्हें बच्चों पर या बच्चों के लिये कोई खबर/कार्यक्रम/वृतचित्र की रिपोर्टिंग/ प्रसारण/ प्रकाशन के दौरान हर समय संरक्षित एवं सुरक्षित रखा जाना चाहिये।

नीचे उल्लिखित दिशानिर्देश **'अनुलग्नक - ए'** के रूप में मौजूदा कानूनी ढांचे की पृष्ठभूमि में प्रस्तावित किये गये हैं ताकि बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित एवं संरक्षित किया जा सके और बच्चों पर या बच्चों के लिये कोई खबर/कार्यक्रम/वृतचित्र की रिपोर्टिंग/प्रसारण/प्रकाशन के संबंध में प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया (यहां के बाद से मीडिया कहा जायेगा) की ज़िम्मेदारी का न्यूनतम मानदंड तय किया जा सके ।

1. प्रयुक्त शब्दावली के अर्थः

1.1 **"बच्चे"** या **"बच्चों"** का मतलब वह व्यक्ति है जिसने 18 साल की उम्र को पूरा नहीं किया है ।

1.2 **"मीडिया"** के अर्थ में समाचापत्र, पत्रिका, न्यूजशीट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं होगा ।

2. सिद्धांतः

2.1 समाचारों/कार्यक्रमों/वृत्तचित्रों में किसी बच्चे को किसी रूप में शामिल किए जाने को संपादकीय तौर पर उचित पाया जाना चाहिए और इसे "बालअधिकार" के नजरिए से भी उचित होना चाहिए ।

2.2 मीडिया को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे किसी बच्चे की पहचान आजीवन उजागर न हो, जो बलात्कार, अन्य यौन अपराधों, मानवतस्करी, नशीली दवाओं/मादक द्रव्यों के सेवन और संगठित अपराधों का शिकार हुआ हो, घर से पलायन किया हो, किसी सशस्त्र संघर्ष में उसका इस्तेमाल किया गया हो या उसने कानून के विरूद्ध कोई आचरण किया हो या वह किसी मामले में गवाह हो ।

2.3 मीडिया को सुनिश्चि करना चाहिए कि बच्चों की निजता के अधिकार को समुचित महत्व दिया जाये और बच्चों पर या बच्चों के लिये कोई खबर/कार्यक्रम/वृतचित्र की रिपोर्टिंग/ प्रसारण/ प्रकाशन करते समय ख़ास ध्यान रखा जाये कि उससे बच्चे चिंता, व्यथा, सदमे और बदनामी का शिकार न हों, उनके जीवन एवं उन की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं हो तथा उन्हें कोई और तकलीफ नहीं हो ।

2.4 मीडिया को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि किसी भी तरह बच्चे की पहचान उजागर नहीं हो, जिसमें उसकी निजी जानकारी, फोटोग्राफ, स्कूल/संस्था/इलाक़ा, पारिवारिक सूचनाएँ, परिवार के आवास एवं कार्यालय के पते सहित कोई ऐसी जानकारी प्रचारित-प्रसारित नहीं होनी चाहिए, जिससे किसी प्रकार उसकी पहचान का पता चलता हो ।

2.5 मीडिया को मुद्दों एवं खबरों को सनसनीखेज नहीं बनाना चाहिये, खासकर तब जब ये बच्चों से संबंधित हों और मीडिया को इस बारे में सचेत रहना चाहिए कि किसी सूचना को सनसनीख़ेज़ तरीके से उजागर किये जाने का क्या घातक दुष्परिणाम हो सकता है और बच्चों को इससे कितनी क्षति पहुँच सकती है।

2.6 मीडिया द्वारा किसी बच्चे का साक्षात्कारः

यह निम्न सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित होगाः

क) यह कि साक्षात्कार बच्चे के सर्वोत्तम हित में हो ।

ख) यह कि साक्षात्कार बच्चे की स्थिति को और अधिक न बिगाड़े ।

ग) साक्षात्कार की विधि और विषय-वस्तु से बच्चे की निजता के अधिकार प्रभावित न हों अथवा उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं हो ।

घ) अगर साक्षात्कार करना बच्चे के सर्वोत्तम हित में है तो वह साक्षात्कार बच्चे के माता-पिता या उसके कानूनी अभिभावक अथवा बच्चे के लिए सक्षम अधिकारियों की अनुमति से और उनकी निगरानी में होना चाहिए ।

ड) किसी बच्चे का साक्षात्कार लेते समय उसकी अनुमति हासिल की जानी चाहिए, जो उसकी उम्र एवं परिपक्वता पर निर्भर करेगा ।

च) बच्चे के बार-बार साक्षात्कार से परहेज़ किया जाना चाहिए ।

छ) अगर बच्चा साक्षात्कार देने से मना कर दे तो बच्चे की इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिए ।

ज) साक्षात्कार से पहले बच्चे को साक्षात्कार के उद्देश्य और तरीके के बारे में समुचित रूप से सूचित किया जाना चाहिए।

झ) साक्षात्कार लेने की अनुमति पाने के लिये बच्चे और/अथवा उस के माता-पिता/ अभिभावक अथवा बच्चा जिसके नियंत्रण या निगरानी में हो, ऐसे किसी व्यक्ति को किसी भी तरह से मजबूर नहीं किया जाना चाहिए और धन सहित किसी अन्य तरह के प्रलोभन नहीं दिये जाने चाहिए।

2.7 बच्चे के साक्षात्कार के लिए मीडिया की ओर से जिस व्यक्ति/संगठन की अनुमति मांगी जा रही हो, मीडिया को उसकी विश्वसनीयता एवं ऐसी अनुमति दे सकने के उसके अधिकार की पुष्टि कर लेनी चाहिएं ।

2.8 बच्चों पर या बच्चों के लिये कोई खबर/ कार्यक्रम/ वृतचित्र की रिपोर्टिंग/ प्रसारण/ प्रकाशन के संबंध में मीडिया को बच्चे या माता-पिता/ अभिभावक एवं अन्य व्यक्ति को वित्तीय या अन्य प्रलोभन नहीं देना चाहिए ।

2.9 मीडिया को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जानकारी पाने के अधिकार के साथ-साथ अनुपयुक्त (अनुकूल या ग़ैर-मुनासिब) सामग्री से बच्चों की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना चाहिए ।

2.10 जैसा कि उपरोक्त सिद्धांत 2.2 में बताया गया है, जिस मामले में निजता/ गोपनीयता जरूरी है, उस मामले में किसी बच्चे की पहचान को छिपाने के लिये मीडिया को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दृश्य में से बच्चे के चेहरे को पूरी तरह ऐसा धुंधला बना दिया जाए कि चेहरा बिलकुल पहचान में न आये ।

2.11 मीडिया को बच्चों पर या बच्चों के लिए समाचार/ कार्यक्रम/ वृत्तचित्र की रिपोर्टिंग/ प्रसारण/ प्रकाशन से संबंधित कानूनों, नियमों एवं दिशा-निर्देशों के बारे में संपादकों/ संपादकीय टीम/ संवाददाताओं/ प्रोड्यूसरों/ फोटोग्राफरों सहित अपने संपादकीय कर्मियों को सचेत व संवेदनशील बनाना चाहिए ।

2.12 मीडिया को आगे बढ़कर सूचना एवं अभिव्यक्ति के अधिकार से कहीं अधिक बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देना चाहिए।

2.13 प्रचारः

सभी राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों के सूचना एवं जनसंपर्क विभागों, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत कार्यरत क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी), प्रसार भारती (आकाशवाणी और दूरदर्शन), स्व-नियामक संस्थाओं आदि को समुचित अंतराल पर बच्चों पर या बच्चों के लिए समाचार/कार्यक्रम/वृत्तचित्र की रिपोर्टिंग/प्रसारण/प्रकाशन से संबंधित कानूनों, नियमों एवं दिशा-निर्देशों (जिसमें यह प्रस्तावित दिशा-निर्देश भी शामिल हैं) का समुचित प्रचार करना चाहिए।

2.14 निगरानीः

बच्चों पर या बच्चों के लिए समाचार/कार्यक्रम/वृत्तचित्र की रिपोर्टिंग/प्रसारण/प्रकाशन पर लागू होने वाले कानूनों, नियमों एवं दिशा-निर्देशों (जिसमें यह प्रस्तावित दिशा-निर्देश भी शामिल हैं) के अनुपालन की निगरानी निम्नलिखित को अपनी निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत करनी चाहिए:

(क) स्व-नियामक संस्थाएँ।

(ख) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नियामक तंत्रों को जैसे इलेक्ट्रानिक मीडिया मानिटरिंग केन्द्र (ईएमएमसी) और अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी)

(ग) भारतीय प्रेस परिषद।

2.15 स्थितिरिपोर्ट:

एनसीपीसीआर/एससीपीसीआर को वार्षिक आधार पर सभी के द्वारा लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा-निर्देशों (जिसमें यह प्रस्तावित दिशा-निर्देश भी शामिल हैं) के अनुपालन के संबंध में माननीय न्यायालय में रिपोर्ट दाखिल करनी चाहिए।

पूर्वगत केवल सामान्य दिशा-निर्देश हैं और इसे संपूर्ण नहीं समझा जाना चाहिए।

संलग्नक: ऊपरोक्तअनुसार

8.8.2012

अनुलग्नक-ए

बच्चों के बारे में मीडिया रिपोर्टिंग

रिट याचिका (सिविल) संख्या 787/2012 में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति द्वारा

1. कानूनीढांचा

1.1 अंतर्राष्ट्रीय

- बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र क़रार

अनुच्छेद 16

1 किसी भी बच्चे की निजता का, उसके परिवार या पते के संबंध में मनमाने या गैर कानूनी तरीके से कोई दख़लंदाज़ी नहीं होगी, ना ही उसके सम्मान एवं प्रतिष्ठा पर कोई गैर कानूनी हमला होगा।

2 ऐसी किसी दख़लंदाज़ी अथवा हमले के खिलाफ बच्चे को कानूनी संरक्षण का अधिकार प्राप्त है।

इस क़रार के अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि आपराधिक कानून के उल्लंघन के मामले में किसी बाल अभियुक्त के विरुद्ध चलने वाली कार्यवाहियों के सभी स्तरों पर बच्चे की निजता संरक्षित की जानी चाहिए।

1.2 राष्ट्रीय

1.2.1 किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000

- धारा 19 – किसी अपराध में दोष सिद्ध होने के कारण आने वाली निर्रहता (disqualification) को हटाना
- धारा 21 – कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे तथा कानून के तहत किसी भी कार्यवाही में देखभाल एवं संरक्षण की जरूरत वाले बच्चे के नाम आदि के प्रकाशन पर रोक

किशोर न्याय (बच्चों के देखभाल एवं संरक्षण) नियम, 2007

नियम 3 – इन नियमों के कार्यान्वयन में पालन किये जाने वाले मूलभूत सिद्धांत

- सिद्धांत 2 – आत्म सम्मान एवं मान का सिद्धांत
- सिद्धांत 4 – सर्वोत्तम हित का सिद्धांत
- सिद्धांत 7 – सकारात्मक उपाय
- सिद्धांत 9 – अधिकारों को नहीं छोड़ने का सिद्धांत
- सिद्धांत 11 – निजता एवं गोपनीयता के अधिकार का सिद्धांत
- सिंद्धांत 14 – नए सिरे से शुरूआत करने का सिद्धांत

2.2 भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम, 1978

इस कानून की धारा 13(2) (बी) के अधिकार क्षेत्र के तहत भारतीय प्रेस परिषद ने 'पत्रकारीय आचरण के मानदंड 2010' बनाए हैं।

"पत्रकारीय आचरण के मानदंड" का 2010 वाँ संस्करण उन मानदंडों का अद्यतन रूप है जो 1996 से अब तक समय-समय पर हुए न्यायिक निर्णयों एवं मतों पर आधारित हैं और इनमें काफी हद तक पत्रकारीय कर्म में अब तक इच्छित मूल्यों से हटकर हुए आचरणों और प्राय: सारे खेद जनक पहलुओं का समावेश है।

- 6(i) प्रेस को किसी व्यक्ति के निजी जीवन में अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, जब तक कि ऐसा करना जनहित में अत्यंत महत्वपूर्ण न हो, और ऐसा किसी दुर्भावना या गलत जिज्ञासा के कारण नहीं किया जाना चाहिए । इस प्रकार अगर कोई मामला सार्वजनिक महत्त्व का बन जाता है तब निजता का अधिकार कायम नहीं रहता और प्रेस और मीडिया के साथ-साथ अन्य व्यक्तियों द्वारा भी उस विषय पर टिप्पणी का समुचित मामला बन जाता है ।

  व्याख्या: किसी व्यक्ति के घर, परिवार, धर्म, स्वास्थ्य, यौनिकता, निजी जीवन और निजी मामले निजता की अवधारणा के दायरे में आते हैं बशर्ते कि इनमें से किसी का किसी प्रकार सार्वजनिक एवं जनहित से टकराव नहीं हो ।
- 6(ii) **पहचान को लेकर सावधानी:** बलात्कार, महिला के अपहरण अथवा बच्चे पर यौन हिंसा से जुड़े अपराध, याशु चिता व व्यक्तिगत चरित्र पर सन्देह व्यक्त करने सम्बन्धी मामलों और महिला की निजता सम्बन्धी मामलों की रिपोर्टिंग करते समय पीड़ित के नाम, फोटोग्राफ और पहचान संबंधी अन्य विवरणों को प्रकाशित नहीं किया जाएगा ।
- 6(iii) यौन उत्पीड़न या ‘‘जबरन विवाह’ या अवैध शारीरिक संपर्क से पैदा हुए शिशु और नाबालिग़ बच्चों की पहचान नहीं बताई जाएगी और न ही उनके फोटो लिए जाएंगे।

बच्चों से संबंधित रिपोर्टो में संवेदनशीलता सुनिश्चित हो

एचआईवी से प्रभावित एवं संक्रमित बच्चे की पहचान का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए ना ही उनके फोटोग्राफ दिखाए जाने चाहिए । इनमें अनाथ गृहों तथा बाल संरक्षण गृहों में रहने वाले बच्चे एवं अनाथ भी शामिल हैं ।

प्रेस परिषद (जांच के लिए प्रक्रिया) नियमन, 1979

धारा 14(1) के तहत पेशेगत दुराचरण के लिए किसी समाचार पत्र, संमाचार एजेंसी, संपादक या अन्य श्रमजीवी पत्रकार के खिलाफ शिकायत की प्रक्रिया

1.2.3 भारतीय दंड संहिता, 1860 तथा अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973:

- भारतीय दंड संहिता की धारा 228-ए में कुछ अपराधों के पीड़ितों की पहचान उजागर करने को दंडनीय अपराध माना गया है जिस के लिए दो साल की सजा अथवा जुर्माने अथवा दोनों के प्रावधान हैं । यह प्रतिबंध उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय के फैसलों के मुद्रण एवं प्रकाशन पर लागू नहीं है, लेकिन किसी यौन अपराध के पीड़ित के सामाजिक बहिष्कार एवं सामाजिक उत्पीड़न को रोकने की दृष्टि से, जिसके लिए धारा 228 ए बनाई गई है, यह उचित होगा कि चाहे उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय या निचली अदालत के फैसले हों, पीड़ित के नाम का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 228-ए तथा अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 327 (3) में भी बच्चे के यौन शोषण से संबंधित अदालती प्रक्रियाओं के प्रकाशन पर इसी तरह की रोक है।

1.2.4 केबल टीवी नेटवर्क (नियमन) अधिनियम, 1995 तथा इसके नियम, 1994

कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता के नियम 6 एवं 7 के अनुसार बच्चों को अवमानित करने वाला कोई भी कार्यक्रम अथवा विज्ञापन के बल सेवा के जरिए प्रसारित नहीं किया जास कता।

1.3 नैतिकमानदंड/ दिशा-निर्देश

1.3.1 एनएचआरसी-यूनिसेफ रिपोर्ट (बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा के संबंध में मीडिया के लिए गाइडबुक)

बच्चों के यौन दुर्व्यवहार एवं शोषण से संबंधित कार्यक्रम बनाने के दौरान मीडिया को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। (http://nhrc.nic.in/Publications/MedGuideChild.pdf)

क्या करें

- बच्चे के सर्वोत्तम हितों एवं अधिकारों को ध्यान में रखें। पीड़ित के प्रति सकारात्मक व्यवहार को बढ़ावा दें।
- समाज के विभिन्न लक्षित वर्गों के लिए प्रासंगिक कार्यक्रम बनाएं।
- अपने कार्यक्रम को फ़ोकस करें। उसके ज़रिये एक या दो संदेश देने पर जोर दें।
- कोई रिपोर्ट भेजने के पूर्व, उस क्षेत्र में उस विषय के जानकार व्यक्तियों एवं संगठनों से संपर्क कर लें।
- विषय की विवेचना सूझ-बूझ एवं संवेदनशीलता से करें।
- बच्चे को सकारात्मक तरीके से पेश करें, वह अपराध का शिकार है, ना कि वह अपराध का हिस्सा है।
- बाल अधिकारों से संबंधित विभिन्न कानूनी प्रावधानों, कानूनों एवं नियमों की जानकारी रखें।
- यह याद रखें कि हालांकि बच्चा निर्बल होता है, अपनी बात कह नहीं पाता, लेकिन किसी वयस्क व्यक्ति की भांति उसका भी आत्मसम्मान है, अधिकार है और मान है।
- अपनी रिपोर्ट और अपने सूत्रों की सावधानी पूर्वक परख करें।
- समस्या से संबंधित स्थितियों के समाधान के तरीक़ों की पहचान करें।
- दर्शकों के लिए यह स्पष्ट हो कि ऐसे मामलों में क्या किया जाना चाहिए।
- लैंगिंक समानता और लड़कियों के अधिकारों को बढ़ावा दें।
- ऐसे मामलों को रोके जाने व बचाव के लिए चल रहे कार्यक्रमों/ संगठनों के बारे में लोगों को जागरूक करें।
- अपराध की गंभीरता को समझें।
- बच्चों के यौन शोषण एवं यौन दुर्व्यवहार के बारे में व्यापक चर्चा को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम बनाएं। यह सुनिश्चित करें कि इनका रेडियो प्रसारण/ टेलीविजन प्रसारण/ प्रकाशन सतत होता रहे।

क्या नहीं करें

- पीड़ित अथवा पीड़ित के परिवार की पहचान का खुलासा नहीं करें।
- बच्चे के यौन शोषण अथवा यौन दुर्व्यवहार के मामलों को सनसनीख़ेज़ या महिमामंडित नहीं करें।
- यौन दुर्व्यवहार/ शोषण का दोबारा विवरण देने को कहकर बच्चे को बार-बार उस घटना की याद न दिलाएँ।

- बार-बार एक ही सवाल या लगातार सवाल पूछ कर बच्चे को दोबारा पीड़ित नहीं करें।
- बच्चे को उपेक्षित रूप में प्रदर्षित नहीं करें।
- बच्चे को यौन वस्तु के रूप में नहीं समझें।
- अपराध या अपराधी को महिमामंडित नहीं करें।
- बच्चे को असहाय या कानूनी सहायता से वंचित न प्रदर्शित करें।
- बच्चे, परिवार या समुदाय को बदनाम नहीं करें।

1.3.2 नैतिक रिपोर्टिंग के बारे में यूनिसेफ के दिशा-निर्देश:

यूनिसेफ (भारत) ने बच्चों से सम्बन्धित मामलों की रिपोर्टिंग के लिए पत्रकारों की मदद के लिये ये सिद्धांत विकसित किए हैं। इन सिद्धांतों को दिशा-निर्देश के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है जिससे मीडिया को बच्चों के मामलों को उनकी उम्र के लिहाज़ से समुचित एवं संवेदनशील तरीके से प्रस्तुत करने में मदद मिलेगी। (www.unicef.org/india/EthicalReportage.pdf)

बच्चों से साक्षात्कार लेने से संबंधित दिशा-निर्देश:

- किसी बच्चे को क्षति नहीं पहुंचाएं ; ऐसे सवालों, रवैये अथवा टिप्पणियों से परहेज करें जो पहले से ही बच्चे को दोषी मान लेने का आभास देते हों, या जो बच्चे के सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति असंवेदनशील हों, जिससे बच्चे के अपने आप को अपमानित महसूस करने का ख़तरा हो या जो त्रासद वारदात के शिकार बच्चे की पीड़ा या दुःख को फिर से हरा कर दे।
- साक्षात्कार लेने के लिए बच्चों को चुनते समय लिंग, नस्ल, उम्र, धर्म, शैक्षणिक पृष्ठभूमि या शारीरिक क्षमताओं के आधार पर भेदभाव नहीं करें।
- किसी तरह का मंचन नहीं हो: बच्चे को कोई ऐसी कहानी सुनाने को नहीं कहें या वैसा कुछ कर के दिखाने को नहीं कहें, जो बच्चे के अतीत से संबंधित नहीं हो।
- यह सुनिश्चित करें कि बच्चे या उसके अभिभावक को यह पता हो कि वे किसी रिपोर्टर से बात कर रहे हैं। उन्हें साक्षात्कार के उद्देश्य तथा उसके अभीष्ट उपयोग के बारे में अवगत करायें।
- प्रत्येक साक्षात्कार और वीडियो टेपिंग के लिए बच्चे एवं उसके अभिभावक से अनुमति प्राप्त करें और जहाँ तक सम्भव हो वृत्त चित्र फ़ोटोग्राफ़ों के लिए भी अनुमति लें। अगर संभव हो और ठीक हो तो यह अनुमति लिखित में लें। यह अनुमति यह सुनिश्चित करने के लिए अवश्य ली जानी चाहिए कि साक्षात्कार के लिए किसी भी तरह से बच्चे या अभिभावक पर जोर – जबरदस्ती नहीं की गयी है और उन्हें यह पता है कि साक्षात्कार जिस रिपोर्ट के लिए किया जा रहा है, वह रिपोर्ट स्थानीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित हो सकती है। यह आमतौर पर तभी सुनिश्चित होगा जब यह अनुमति बच्चे की अपनी भाषा में ली जाये और साक्षात्कार की स्वीकृति का निर्णय उन लोगों की सलाह से लिया जाये जिन पर बच्चा भरोसा करता हो।
- इस बात पर ध्यान दें कि कहां और किस तरह से बच्चे का साक्षात्कार लिया जा रहा है। साक्षात्कार लेने वालों एवं फोटोग्राफरों की संख्या सीमित रखें। यह निश्चित करने की कोशिश करें कि बच्चा सहज स्थिति में हो और बिना किसी बाहरी दवाब के बगैर अपनी बात कह सके। साक्षात्कार कर

रहे व्यक्ति का भी उस पर कोई दबाव न पड़े । फिल्म, वीडियो और रेडियो साक्षात्कार में इस बात पर भी विचार करें कि जब बच्चे, या उसके जीवन एवं उसकी कहानी दिखायी या बतायी जायेगी तो पृष्ठभूमि में क्या दृश्यावली चलेगी, कैसा संगीत या कैसी ध्वनियाँ पृष्ठभूमि में इस्तेमाल की जायेंगी । यह सुनिश्चित करें कि बच्चे के घर, समुदाय या उसके सामान्य ठौर-ठिकाने को प्रदर्शित करने पर बच्चा किसी तरह के खतरे में नहीं पड़ेगा अथवा वह प्रतिकूल ढंग से प्रभावित नहीं होगा ।

बच्चों के बारे में रिपोर्टिंग के दिशा-निर्देश

- किसी बच्चे को और अधिक लाँछित नहीं करें । ऐसे वर्गीकरणों एवं विवरणों से बचें जिससे बच्चे के नकारात्मक प्रतिपीड़न का ख़तरा हो, उसे और अधिक शारीरिक एवं मानसिक नुकसान पहुँच सकताहो, वह ताउम्र बुरे बर्ताव, भेद भाव अथवा स्थानीय समुदायों द्वारा बहिष्कार का शिकार हो सकता हो ।
- बच्चे की कहानी या छवि का सदैव एक दम सही संदर्भ प्रस्तुत करें ।
- हमेशा ऐसे बच्चों के नाम को बदल दें तथा उनकी दृश्य पहचान को छिपा दें, जो-

  क. यौन दुर्व्यवहार अथवा शोषण के शिकार हों

  ख. शारीरिक एवं यौन शोषण के अपराधी

  ग. एचआईवी संक्रमित अथवा एड्स ग्रस्त, जब तक कि बच्चे, उसके माता-पिता या अभिभावक को अच्छी तरह पूरी जानकारी देकर उनकी अनुमति प्राप्त नहीं कर ली जाती ।

  घ. किसी अपराध का अभियुक्त या आरोपी
- कुछ ऐसी स्थितियों में जहाँ कुछ कारणों से खतरे या नुकसान पहुंचने की आशंका हो सकती हो या बदले की किसी कार्रवाई का ख़तरा हो सकता हो, वहाँ उस बच्चे का नाम बदल दें, उसकी दृश्य पहचान छिपा दें । इनमें शामिल हैं -

  क. वर्तमान या पूर्व बाल लड़ाके ।

  ख. शरण पाने का अभ्यर्थी, शरणार्थी के रूप में रह रहा या आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति
- कुछ स्थितियों में बच्चे की पहचान – नाम और / या पहचाने जा सकने वाली तसवीर दिखाना बच्चे के सर्वोत्तम हित में होता है । लेकिन ऐसे मामलों में भी जब बच्चे की पहचान बतायी जाये तो इसका ध्यान रखा जाना चाहिए कि इससे उन्हें किसी प्रकार का नुकसान, बदनामी या प्रतिशोध का सामना नहीं करना पड़ेगा । पहचान उजागर किये जा सकने वाले ऐसे विशेष मामलों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं -

  क. जब बच्चा अपनी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उपयोग करने के लिए किसी रिपोर्टर के साथ संपर्क बनाता है और चाहता है कि उसकी बात सुनी जाये ।

  ख. जब कोई बच्चा किसी सामाजिक कार्यक्रम या अभियान से सक्रिय तौर पर जुड़ा हो और चाहता हो कि उसकी पहचान सामने आये ।

  ग. जब बच्चा किसी मनो सामाजिक (Psychosocial) कार्यक्रम जुड़ा हो, और इस पर दृढ़ मत रखता हो कि उसका नाम एवं पहचान उसके स्वस्थ विकास का हिस्सा है ।

- बच्चा जो कह रहा है, उस बात की अच्छी तरह पुष्टि करें, दूसरे अन्य बच्चों से पूछें और किसी वयस्क व्यक्ति से बात करें और बेहतर हो कि दोनों से ही अच्छी तरह पड़ताल करें.
- जब भी संदेह हो कि ख़बर से बच्चे को कुछ ख़तरा पहुँच सकता है या नहीं, बेहतर हो कि किसी एक बच्चे को केन्द्र में रखने के बजाय बच्चों की सामूहिक सामान्य स्थिति के बारे में ख़बर की जाये, चाहे कितनी ही बड़ी ख़बर क्यों न हो।

1.4 स्व-नियमन तंत्र

1.4.1 न्यूज ब्राडकास्टर्स एसोसिएशन, नई दिल्ली द्वारा **समाचार प्रसारण मानक नियमावली एवं नीति संहिता और प्रसारण मानक, 2008**

- समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण [न्यूज ब्राडकास्टिंग स्टैंडर्ड अॅथारिटी (एनबीएसए)]

1.4.2 इंडियन ब्राडकास्टिंग फाउंडेशन, नई दिल्ली द्वारा **सामान्य मनोरंजन तथा गैर-समाचार एवं समसामयिक मामलों के प्रसारण क्षेत्र के लिए स्वनियमन मानदंड, सामग्री संहिता और प्रमाणन नियम**

- ब्राडकास्टिंग कंटेंट कम्प्लेंट्स काउंसिल (बीसीसीसी) सामग्री संहिता एवं प्रमाणन नियम, 2011 के तहत स्थापित

प्रतिलिपि की प्रतिलिपि

परीक्षक

दिल्ली उच्च न्यायालय